महावीर v/s रतन वगै. 14/2019

212 RTA

24/7/25 पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता उभय। अपीलार्थी सं. 3 द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी की सम्पूर्ण सुनी गया निर्णय टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद आदेश 7 नियम 11 वा. दीवानी में दायर होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

24/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा